प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र, कटनी

[20/2/2019]

परिशिष्ट - सतास

कलेक्ट्रेट परिसर, कटनी म.प्र. 483501

Email-zsk_katnimp@rediffmail.com, Phone-07622-220175,227680

क्र. / जिशिके / निर्माण / 2017 / 716

कटनी दिनांक 5/7/17

प्रति,

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
जिला कटनी

विषय:- विधान सभा आश्वासन कमांक 2863 के सबंध में ।

संदर्भ:-
1 कार्यालीन पत्र कमांक 1768 दिनांक 19.12.2016
2 कार्यालीन पत्र कमांक 1851 दिनांक 11.01.2017
3 कार्यालीन पत्र कमांक 29 दिनांक 03.04.2017

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से संबधित श्री कुंज बिहारी परौहा सहायक शिक्षक निर्माण एजेन्सी बालक आश्रम शाला पोडी मडई को शौचालय निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 राशि 53250.00 जारी की गई थी जिसे संबंधित द्वारा आहरण कर लिया गया किन्तु शौचालय निर्माण नही कराया गया है। उक्त संबंध में विधान सभा प्रश्न कमांक 2863 आहूत किया गया था जिसके कारण संबंधित को 03 कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा चुका है। संबंधित आपका अधीनस्थ कर्मचारी हैं कृपया उक्त कर्मचारी विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर वसूली की कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि विधान सभा आश्वासन कमांक 226 का उत्तर प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्न- संदर्भित पत्र (3)

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र कटनी
कटनी दिनांक 5/7/17

पृकमांक / निर्माण / जिशिके / 2017 /

प्रतिलिपि :-
1 आयुक्त महोदय राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2 कलेक्टर महोदय जिला कटनी की ओर सादर सूचनार्थ
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, जिला पंचायत कटनी की ओर सादर सूचनार्थ।
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ।
5 विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र कटनी / रीठी की ओर सूचनार्थ ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
(...-3)

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र कटनी

11/07/17

कार्यालय कलेक्टर(सर्व शिक्षा अभियान) जिला कटनी

क्रमांक / शौ.नि. / स्थापना / 2015 / ४८९ कटनी दिनांक 15/6/15

/आदेश/

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शासन की महत्त्वपूर्ण योजना के द्वारा प्रत्येक शौचालय विहीन विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य कराया जाना है। जिसके अंतर्गत आपके विद्यालय में भी शौचालन निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। किन्तु आपके द्वारा शासकीय कार्य में रूचि न लेते हुये शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ नही किया गया आपका उक्त कृत संविदा/अध्यापक आचरण नियम अंतर्गत स्वच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही का घोतक है। ।

अतः श्री पुन्नुलाल साहू,सहायक अध्यापक ,शा0प्रा0शा0इंदिरा नगर ,कटंगी कला,विकास खण्ड कटनी को म.प्र.पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं शर्ते) नियम 2008 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटनी होगा एवं नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–कटनी

पृ.क्रमांक / शौ.नि. / स्थापना / 2015 / ४८९-४९० कटनी दिनांक 15/6/15

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर,जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी,कटनी की ओर सूचनार्थ एवं संकुल प्राचार्य की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कटनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ एवं बी.आर.सी.सी. कटनी की ओर आदेश तामिली हेतु पालनार्थ।
8. संबंधित श्री पुन्नुलाल साहू,सहायक अध्यापक ,शा0प्रा0शा0इंदिरा नगर ,कटंगी कला,विकास खण्ड कटनी की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–कटनी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग